रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2511] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 26, 2015/अग्रहायण 5, 1937
No. 2511] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 26, 2015/AGRAHAYANA 5, 1937

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 2015

का.आ. 3185(अ).— भारत सरकार एतदद्वारा मंत्रिमंडल के दिनांक 18 नवम्बर, 2015 के अनुमोदन के साथ निम्न प्रकार से यूरिया और एलपीजी उत्पादकों को घरेलू गैस आपूर्ति हेतु विपणन मार्जिन के निर्धारण को अधिसूचित करती है -

(i) देश के भीतर उत्पादित की जा रही तथा देश में उर्वरक (यूरिया) और एलपीजी उत्पादकों को आपूर्ति की जा रही किसी भी घरेलू गैस पर अधिकतम 200 रुपए प्रति 1000 एससीएम (10000 केसीएएल/ एससीएम की एनसीवी दर से) का विपणन मार्जिन वसूल किया जा सकता है।

(ii) भविष्य में विपणन मार्जिन की सीमा में थोक मूल्य सूचकांक (डब्लूपीआई) तक विपणन मार्जिन की सीमा में बढ़ोतरी स्वयं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा की जा सकती है। यह वृद्धि उस समय चल रही डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति की अधिकतम सीमा की शर्त पर होगी।

(iii) विपणन मार्जिन को उपर्युक्त (ii) में यथा परिकल्पित सीमा से अधिक बढ़ाने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा व्यय विभाग के जरिए सीसीईए का अनुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित होगा।

2. उपरोक्त निर्णय मंत्रीमंडल के अनुमोदन की तारीख यानि 18-11-2015 से प्रभावी होंगे।

[फा. सं. एल-12015/5/2009-जीपी-I (खंड-II)]

श्रीप्रकाश अग्रवाल, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th November, 2015

S.O. 3185(E).—The Government of India with the approval of the Cabinet on 18th November, 2015 hereby notifies the determination of marketing margin for supply of domestic gas to Urea and LPG producers as under:-

(i) Marketing margin upto a maximum of Rs 200 per 1000 SCM (@ NCV of 10000 Kcal/SCM) may be levied on any domestic gas being produced within the country and supplied to Fertilizer (Urea) and LPG Producers in the country.

(ii) In future, escalation in the limit of marketing margin upto Wholesale Price Index (WPI) may be done by the Ministry of Petroleum and Natural Gas itself. The escalation would be subject to the upper limit of WPI inflation prevailing at relevant point in time.

(iii) For escalating the marketing margin beyond the limit as envisaged in (ii) above, the Ministry of Petroleum and Natural Gas would require the approval of Cabinet through D/o Expenditure.

2. The above decision will be effective from the date of Cabinet approval i.e., 18.11.2015.

[F. No. L-12015/5/2009-GP-I (Vol.II)]

SHRI PRAKASH AGARWAL, Under Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.